(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 08 / 2023 विविध
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 21.06.2024

1. कैलाशचंद पुत्र मूलचन्द जाति बारागाव ब्राहम्ण निवासी ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. गौरू पुत्र भोलू जाति बलई निवासी ग्राम चक्वाडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. हरिनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बारागाव ब्राहम्ण निवासी ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर
3. रामकिशन पुत्र भूरा जाति बारागाव ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं 2 देशवाली मौहल्ला मालपुरा, तहसील मालपुरा जिला टोंक राजस्थान।
4. महादेव पुत्र भूरा जाति बारागाव ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 2 देशवाली मौहल्ला, मालपुरा, तहसील मालपुरा जिला टोंक राजस्थान।
5. रामगलोल पुत्र भूरा जाति बारागाव ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 2 देशवाली मौहल्ला, मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राजस्थान।
6. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री विरेन्द्र कुमार जोशी वकील प्रार्थीगण
प्रार्थना–पत्र धारा 111 एल.आर.एक्ट.

दिनांक:– 21.06.2024

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2582 रकबा 0.5311 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चकवाडा पटवार हल्का चकवाडा, भू.अभि. नि.क्षेत्र चकवाडा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थीसंख्या 1 के खसरा नम्बर 2583 व अप्रार्थीसंख्या 2 लगायत 4 के आराजी खसरा नम्बर 258. 2584, 2585 उक्त आराजी के लगवा प्रार्थी के खसरा नम्बर 2582 के पडौसी खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थीसंख्या 03 लगायत 05 के पिता की मृत्यु दिनाक 18.04.1998 को हो चुकी है। जिससे उक्त जमाबंदी में भूरा पुत्र ईश्वरा के नाम उक्त आराजी भूमि का अंकन हो रखा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थी ने आराजी भूमि का विधिवत रूप

लगातार.................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

से श्रीमान् तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/LR/2020/1941 दिनांक 08/06/2020 की पालना में दिनांक 22/06/2020 को पटवारी हल्का चकवाड़ा से सीमाज्ञान करवाया गया जब सीमाज्ञान पूर्ण हो गया एवं फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगें तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में हुये सीमाज्ञान दिनांक 22/06/2020 को मध्य नजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शे अनुसार दर्शाते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा मिटाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते एवं प्रार्थीगण की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है क्योकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 22/06/2020 एवं आदेश क्रमांक/LR/2020/1941 दिनांक 08/06/2020 को तहसीलदार फागी के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दि. 22/06/2020 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा प्रार्थीगण से आये दिन लडाई झगडा व मेरे कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रर्थीगण को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 22/6/2020 एवं तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दि. 22/06/2020 के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढ़ी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 02, 03, 04, 05 बाद तामील हाजिर अदालत नही आये। दिनांक 14.07.2023 अप्रार्थीगण संख्या 02, 03, 04, 05 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अप्रार्थीगण संख्या 01 बाद तामील हाजिर अदालत नही आये। दिनांक 04.03.2024 अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अप्रार्थी सं 06 बाद तामिल हाजिर अदालत नहीं आये। अतः अप्रार्थी संख्या 06 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

लगातार.....................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

कैलाश बनाम गोरू वगै0
मु0नं0:– 08 / 2023
निर्णय दिनांक–21.06.2024

बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्तविवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चकवाड़ा में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2071–2074 वाके ग्राम चकवाडा के खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 2582 रकबा 0.5311 हैक्टेयर प्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 02 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 22.06.2020 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पडौसी काश्तकार आपस मे सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारों से विवाद होना बताया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पडौसी खातेदारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाएें रखने हेतु न्यायालय सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी आराजी खतौनी संख्या 73 के खसरा नम्बर 2582 रकबा 0.5311 हैक्टेयर, भूमि वाके ग्राम चकवाडा तह0 फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का सभी पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर समस्त पडोसी खातेदारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू